



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1529

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19454 वर्ष 2025

राज कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

इलाहाबाद उच्च न्यायालय और एक अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता	:	शैलेश कुमार
प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	आशीष मिश्रा

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश कुमार और प्रतिवादियों के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री चंदन शर्मा को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि वह जिला न्यायाधीश कार्यालय का एक कर्मचारी है जो सेवानिवृत्त हो चुका है, हालांकि, उसे पेंशन, आनुतोषिक और अवकाश नकदीकरण का भुगतान नहीं किया गया है।
3. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि कुछ अनुशासनात्मक जांच लंबित है। फिर भी, इस मामले पर प्रथम दृष्टया द्वितीय प्रतिवादी, जिला न्यायाधीश, कुशीनगर, पडरौना द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है।
4. अधिवक्ताओं द्वारा इस प्रकार से प्रस्तुत निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए रिट याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह **16.01.2026** तक द्वितीय प्रतिवादी, जिला न्यायाधीश, कुशीनगर, पडरौना के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और



आदेश की प्रमाणित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। इसके बाद, द्वितीय प्रतिवादी दो माह की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेगा।

5. उपरोक्त संप्रेक्षणों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

6 जनवरी 2026

राजेश

Translated Version. Not For Legal Use.